18

न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 114/2014

विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व श्री अखे सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

वादी

बनाम

1. शंकर सिह (मृतक)
1/1. धर्मेन्द्र सिंह
1/2. चैन सिंह
1/3. महेन्द्र सिंह
} पुत्रान्/पुत्री शंकर सिंह जाति रापजूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

1/4. मंजू कंवर पुत्री शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी भाढाढर वाया धनकोली तहसील मौलासर जिला नागौर राजस्थान।

2. जीतू सिंह
3. उम्मेद सिंह
4. मोहन सिंह
5. सोहन सिंह
} पुत्रान जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राजस्थान)

6. भंवर कंवर पत्नी जगदीश सिंह **(मृतक)**

6/1. धीरज कंवर पुत्री भंवरी कंवर व जगदीश सिंह पत्नी जीवण सिंह, जाति राजपूत निवासी कसूम्बी उपादड़ा का बास तहसील लाडनू जिला नागौर राजस्थान।

6/2. शायर कंवर पुत्री भंवर कंवर व जगदीश सिंह पत्नी मुकेश सिंह जाति राजपूत निवासी गुगड़वार (कुकनवाली) तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान।

6/3. नरपत सिह पुत्र बदनकंवर नाति भंवर कंवर जाति राजपूत निवासी कुसुम्बी उपदड़ा का बास तहसील लाडनू जिला नागौर राजस्थान।

6/4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बदनकंवर नाति भंवर कंवर जाति राजपूत निवासी कुसुम्बी उपदड़ा का बास तहसील लाडनू जिला नागौर राजस्थान।

6/5. प्रेम कंवर पुत्री बदन कंवर नातिन भंवर कंवर पत्नी धर्मवीर सिंह जाति राजपूत निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

7. जयपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
सुनिता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

8. ओम कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

दावा– बाबत घोषणार्थ, विभाजन व [illegible] निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राज.काश्त

प्रार्थना पत्र विभाजन प्रस्ताव पुनः मगवाने

निर्णय

निर्णय दिनांक : 16–01–2023

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उपरोक्त वाद–पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2021 को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 40, 418, 419, 505, 506, 507 रकबा क्रमशः 0.60,

स.क. (फा.ट्रै.) नवलगढ़

0.04, 0.74, 0.42, 0.06, 1.15 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 3.01 हैक्टर में वादी का 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 की शामलाती काश्त की मानते हुये मौके पर कब्जा काश्त अनुसार सभी काश्तकार खातेदारों की मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया गया था।

विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट तत्कालीन तहसीलदार नवलगढ़ ने तुरन्त बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये, मनमर्जी मुताबिक रिपोर्ट तैयार कर पेश की है, विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.09.2021 अनुसार खसरा नम्बर 40 के दो भाग किये गये है तथा खसरा नम्बर 505 को वादीगण का बताया गयाहै, जबकि वाद में कोई वादीण्गा न होकर केवल वादी है, खसरा नम्बर 40 के कोई दो भाग नही है और न ही दो भागो में काश्त होती है, मध्य कोई सीमा नही विरेन्द्र सिंह वादी ने कई वर्षो से काश्त नही करने से बजंड़ पड़ा है, अब मौका रिपोर्ट बनाने के बाद ट्रेक्टर से आधे भाग पर फाड़ लगाई गई है, इसी तरह खसरा नम्बर 505 पर कभी कोई कब्जा वादी का नही रहा, वादी द्वार बदमाश प्रवृति के व्यक्तियो को ले जाकर कब्जा करने की नियत से लठ के बल पर कोशिश की, जिसका मुकदमा पुलिस थाना नवलगढ में दर्ज हुआ है, नियम 18 से 21 के अनुसार खातेदारो की मौजुदगी में अच्छी मे से अच्छी व खराब मे से खराब भूमि का युक्तियुक्त रूप से विभाजन करना होता है, मौजुदा रिपोर्ट में न तो सभी खातेदारों की मौजुदगी में रिपोर्ट तैयार की गई है तथा न ही हस्ताक्षकर किये गये है। अगर वादी के खेत से सड़क गई है तो वादी का रकबा सड़क की भूमि कम होती यानिकि वर्तमान में सड़क जाने के पश्चात जो जमीन बची है, उसका विभाजन किया जा रहा है तो प्रतिवादीगण की भूमि मे से सड़क का रकबा कम कैसे होगा। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव प्रथम दृष्टया ही कानून व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है, इसलिए वादी ने जानबूझकर सड़क का वाद–पत्र में कोई उल्लेख नही किया गया है, क्योकि वादी की मंशा खराब रखकर वाद–पत्र प्रस्तुत किया और गलत वाद–पत्र की आड़ में सडक से दोनो तरफ की जमीन भी ले लेगा और रकबा भी कम नही होगा यानि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत चरितार्थ कर लेगा, जिसमें वादी कुछ हक तक तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी हल्का से सांठ–गांठ कर मात्र निर्णय होने पर 10 दिन में रिपोर्ट न्यायालय में आ गई अन्यथा पहले हुये निर्णयों की रिपोर्ट आज दिन तक न्यायालय में पेश नही हुई। इससे स्पष्ट है कि वादी प्रभावशाली व्यक्ति है, विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.09.2021 न तो मौके अनुसार है तथा न ही खातेदारो की मौजुदगी में तैयार किया गया है तथा न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो अनुसार है तथा न ही नियम 18 से 21 की कोई पालना की गई है, इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.092021 को पुनः नियमानुसार पक्षकारों की मौजुदगी में नियमानुसार मंगवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अन्य उज्रात वरवक्त बहस अर्ज यि जायेगें। अतः उपरोक्त विभाजन वाद में विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादीगण) ने प्रार्थना पत्र ऐतराज/पुनः मंगवाये जाने विभाजन प्रस्ताव का जवाब नही पेश कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया। बहस प्रार्थना पत्र ऐजराज विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी (वादीगण) दौराने बहस कथन किया कि प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में उज्र उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार के समय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम विरूद्ध है, इस संबंध में तर्क दिया कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से सभी पक्षकारो को नोटिस जारी कर ही तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाया गया है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 505, 507, 419 में वादी को 1/2 हिस्से तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी को बराबर–बराबर भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित समय में तैयार किया गया है। पक्षकारान के कब्जा काश्त अुनसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया तथा कब्जा काश्त भी वही रखना चाहते है। खसरा नम्बर 506, 507 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। तथा खसरा नम्बर 519, 518 505 पर वादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 505 मे से आने–जाने का रास्ता छोड़ा गया। खसरा नम्बर 507 में से रास्ते बाबत जितनी भूमि गई उतनी ले ली है। खसरा नम्बर 40 दूर है उसे 1/2–1/2 हिस्सा किया किया गया है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

185

खसरा नम्बर 40 मे आधे–आधे हिस्से पर कब्जा काश्त है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा तैयार किया गया विभाजन पर पक्षकारान व गांव के मौतविरानों के हस्ताक्षर करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर जिसने हस्ताक्षर नही किये है उनका विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार होना अंकित किया गया हैं। विभाजन प्रस्ताव में कुल भूमि में से 1.49 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं 1.52 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण को हिस्सा दिया गया है, जो सही दिया गया है विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है। पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को Delay के लिये लगाया हैं। अतः दावा विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

जवाब बहस में वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने अप्रार्थी (वादीगण) अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुये लिखित बहस प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि वादी या वादी अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही होने से प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में उठाये गये उज्र का कोई खण्डन लिखित में नही किया गया और न ही पत्रावली पर रिकार्ड में है। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2021 को वादग्रस्त खसरा नम्बर 40, 418, 419, 505, 506, 507 रकबा क्रमशः 0.60, 0.04, 0.74, 0.42, 0.06, 1.15 हैक्टर कुल किता 06 कुल रकबा 3.01 हैक्टर में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 की शामलाती मानते हुये सभी खातेदारों की मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोट प्रस्तुत करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया गया है। वादी द्वारा विशेष तत्परता दिखाते हुये तुरन्त प्रभाव से तहसीलदार नवलगढ से बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये मनमर्जी मुताबिक रिपोर्ट तैयार कर पेश की है, विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.09.2021 अनुसार खसरा नम्बर 40 के दो भाग किये गये है तथा खसरा नम्बर 505 जो मुख्य सड़क पर लगता है, कीमती भूमि है, वह वादी की दर्शाई गई है, यानि अच्छी–अच्छी भूमि जो वादी के द्वारा बताई गई है, तहसीलदार नवलगढ ने विभाजन प्रस्ताव में अंकित की है। न्यायालय आदेशानुसार सभी पक्षकारों की मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, क्या सभी पक्षकारों को मौका निरीक्षण की तारीख व समय से अवगत करवाये जाने बाबत कोई नोटिस दिया गया है। तहसीलदार नवलगढ को यह कैसे पता चला कि कीमती भूमि वादी की है और सडक से दूर जो कीमती नही है भूमि प्रतिवादीगण की है।

पत्रावली का अवलोकन करने व विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नवलगढ ने किसी पक्षकार को कोई लिखित नोटिस नही दिया औरन ही समय व तारीख तैय की गई है और न ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्ताव के साथ पेश किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि वादी कीमती भूमि लेने का हकदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बंटवारा किया जावेगा और न्यायालय की डिक्री द्वारा विभाजन होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियम 20 में बताई गई है जिसके अनुसर भूमि का मूल्यांकन एक सह–काश्तकार के हिस्से के अनुसार किया जावेगा जो यथा संभव कोम्पेक्ट होगा एवं सभी को अच्छी से अच्छी और खराब से खराब भूमि प्रदान की जावेगी। अगर ऐसा नही किया जाता है तो सम्भवतः खेत का विभाजन नही किया जावेगा। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.09.2021 में कोई पक्षकारों को नोटिस नही दिया है, न विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर है और नही सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर क्यो नही है, इसका कोई कारण उल्लेखित है, यानि कि विभाजन प्रस्ताव मैलाफाईड इरादे से तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार प्रत्येक पक्षकार को आंवटित किये गये भाग प्लाटों को अलग–अलग रंग से दिखाते हुये नक्शो बनायेगा और उसे रिकार्ड में रखेगा और यदि किसी खेत का उप विभाजन [illegible] है तो वह पार्टीयों के खर्चे पर भागे को सीमांकन करेगा। उक्त नियमों की तहसीलदार नवलगढ [illegible] की गई है। विभाजन प्रस्ताव मे जो नजरी नक्शा बनाया गया है, उसमे वादी [illegible] सड़क से लगती सम्पूर्ण भूमि दी गई है। प्रथम मो वादीगण नही है, वादी एक है। इसी तरह प्रतिवादीगण की भूमि को सड़क रास्तों से दूर रखकार दिखाया गया है, अब प्रश्न यह उठता है कि जब जोत पैतृक है, जिसका कोई विधिवत विभाजन इस वाद से पहले नही हुआ है, जैसा वाद–पत्र में वादी ने उल्लेख किया है तो वादी को सड़क व तमाम रास्तो की कीमती भूमि दिये जाने का कोई कारण नही है। इसी तरह यह प्रश्न उठता है कि प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

किस प्रतिवादी की भूमि कहा है, उसका विभाजन प्रस्ताव मे कोई उल्लेख नही है, केवल विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नवलगढ वादी के लिये करता है, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने से ऐससा प्रतीत होता है कि वादी तहसीलदार के पास बैठकर तैयार करवाया हो। वादी विरेन्द्र सिंह को वादग्रस्त तमाम कीमती सड़क व रास्तों से लगती हुई भूमि क्यो दी, विभाजन प्रस्ताव में दी गई है, यानि नियम 18 से 21 को कोई मतलब नही है जो किसी रूप दमें न्याय संगत व विधिक प्रावधानों अनुसार नही हो सकती है और न ही स्थिर रखी जाने योग्य है। इसलिए न्यायालय से न्याय की उम्मीद रखते हुये ऐसी गलत विधि विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव की रिपोर्ट नजर अन्दाज कर पुनः विधि अनुसार अच्छी में से अच्छी व खराब मे से खराब कीमत का मूल्यांकन करते हुये सड़क पर से सड़क में रास्ते पर से रास्ते पर भूमि वाद व प्रतिवादीगण को दिलवाई जाती हुई रिपोर्ट सभी पक्षकारों की मौजुदगी में मंगवाई जावे ताकि पक्षकारों के साथ न्याय हो सके। वाद में विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया जावे ताकि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना हो सके।

पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार शामलाती दर्ज है उसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में उज्र उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार के समय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम विरूद्ध है, इस संबंध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने पर सभी पक्षकारो को सूचना जारी कर ही तैयार किया गया है, तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 505, 507, 419 में वादी को 1/2 हिस्से तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी को बराबर–बराबर भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया हुआ है। पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया। खसरा नम्बर 506, 507 पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। तथा खसरा नम्बर 519, 518, 505 पर वादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 505 मे से आने–जाने का रास्ता छोड़ा गया। खसरा नम्बर 507 में से रास्ते बाबत जितनी भूमि गई उतनी दी गई है। खसरा नम्बर 40 दूर है उसमे 1/2–1/2 हिस्सा बराबर–बराबर विभाजित किया गया है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान व गांव के मौतविराने के हस्ताक्षर करवाये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर विरेन्द्र सिंह व मैनसिंह के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के समय उम्मेद सिंह पुत्र जगदीश (प्रतिवादी), मैन सिंह उर्फ महेन्द्र सिह(प्रतिवादी), विरेन्द्र सिंह पुत्र अखेसिंह(वादी), जयपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह (प्रतिवादी) विभाजन प्रस्ताव पर जिसने हस्ताक्षर नही किये है उनका विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार होना अंकित हैं। विभाजन प्रस्ताव में कुल भूमि में से 1.49 हैक्टर भूमि का वादीगण एवं 1.52 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण को हिस्सा विभाजित किया गया है। जहां तक न्यायालय का मत है वर्णित विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र मे तैयार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारो को सूचना प्रेषित कर तैयार किया हुआ है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी मैन सिंह हस्ताक्षर भी होना अंकित है तथा जिसने हस्ताक्षर करने से मना किया गया है उनका विभाजन प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने से इन्कार होना अंकित है। विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप [illegible] की ओर से प्रस्तुत ऐतराज विभाजन प्रस्ताव एवं पुनः मंगवाये जाने [illegible] प्रस्ताव प्रोषक [illegible] नही होती है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण की आपति खारिज किया जाता है तथा [illegible] विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव [illegible] रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2021/777 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद वादी [illegible]कार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम झाझड़ 40, 418, 419, 505, 506, 507 रकबा क्रमशः 0.60, 0.04, 0.74, 0.42, 0.06, 1.15 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.01 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

उ. सी. ई. एम. (भू. दे.)
नवलगढ

c.A.

1. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 41/1 (40/1), 418, 419, 505/1, 507मी० रकबा क्रमशः 0.30, 0.04, 0.74, 0.40, 0.01 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 1.49 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 अखेसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 40/2, 505/2, 506, 507/2 रकबा क्रमशः 0.30, 0.02, 0.06, 1.14 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 1.52 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का जीतू सिंह, उम्मेद सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह पिता जगदीश सिंह हिस्सा 20/63, धमेन्द्र सिंह, चैन सिंह, महेन्द्र सिह पिता शंकर सिंह, मंजू कंवर पुत्री शंकर सिंह हिस्सा 5/63, ओमकंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह, जयपाल सिह पुत्र राजेन्द्र सिं, सुनिता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह हिस्सा 5/63, धीरज कंवर, शायर कंवर पुत्रियां जगदीश सिह हिस्सा 1/63, नरपत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, प्रेमकंवर पुत्र/पुत्रियां बदन कंवर नातिन भंवर कंवर हिस्सा 1/126 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

नोट- निर्णय दिनांक 30/1/2023 प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC के फलस्वरूप निर्णय मे पृष्ठ संख्या 2 पर तीसरी पंक्ति एवं पृष्ठ संख्या 4 की दूसरे पैरा की 11वीं पंक्ति में खसरा नं. 519, 518 के स्थान पर 419, 418 व निर्णय दिनांक 16/1/2023 में मद संख्या 1 मे खसरा नं. 41/1 के स्थान पर 40/1 दुरस्त किया जाता है।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती,
व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री

मुकदमा सं0:– 114/2014 (**विरेन्द्र सिंह – बनाम – शंकर सिंह वगैरह**)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर (आर॰ ए॰ एस॰),**सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **20.09.2021** निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम झाझड़ 40, 418, 419, 505, 506, 507 रकबा क्रमशः 0.60, 0.04, 0.74, 0.42, 0.06, 1.15 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.01 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

1. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 41/1, 418, 419, 505/1, 507मी॰ रकबा क्रमशः 0.30, 0.04, 0.74, 0.40, 0.01 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 1.49 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 अखेसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 40/2, 505/2, 506, 507/2 रकबा क्रमशः 0.30, 0.02, 0.06, 1.14 हैक्टर कुल किता 04 कुल रकबा 1.52 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का जीतू सिह, उम्मेद सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह पिता जगदीश सिंह हिस्सा 20/63, धमेन्द्र सिंह, चैन सिंह, महेन्द्र सिह पिता शंकर सिंह, मंजू कंवर पुत्री शंकर सिंह हिस्सा 5/63, ओमकंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह, जयपाल सिह पुत्र राजेन्द्र सिं, सुनिता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह हिस्सा 5/63, धीरज कंवर, शायर कंवर पुत्रियां जगदीश सिह हिस्सा 1/63, नरपत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, प्रेमकंवर पुत्र/पुत्रियां बदन कंवर नातिन भंवर कंवर हिस्सा 1/126 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन............–............... मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......–..............का अदा करे। बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख [illegible] को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर) (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

नोट– प्रा॰ पत्र 152 CPC के निर्णय दिनांक 3/1/2023 के अनुसरण में पैरा संख्या 1 मे खसरा न. 41/1 के स्थान पर 40/1 दुरस्त किया जाता है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) नवलगढ़ जिला झुंझुनू

क्र/रीडर/2021/777

दिनांक 5/10/2021

प्रेषित :-

श्रीमान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ

विषय :-न्यायालय प्रकरण संख्या 114/2014 उनवान विरेन्द्र सिंह बनाम शंकरसिंह व अन्य आदि में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में

प्रसंग :- श्रीमानजी का पत्रांक 173 दिनांक 20.9.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त उनवानी प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा प्रति डिक्री आदेश दिनांक 20.09.2021 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर सलंग्न प्रेषित है।

संलग्न :- विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में

तहसीलदार नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मै महेन्द्र सिंह मूण्ड....(नाम) तहसीलदार...नावलगढ़ न्यायालय सहायक कलेक्टर/~~उपखण्ड~~ अधिकारी, नावलगढ़ के आदेश कमांक/राजस्व/2021/173 दिनांक 20/9/2021 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 30/9/2021 समय 2 P.M....बजे आराजी खसरा नम्बर–40,...418,419,505,506,507 के ग्राम [illegible]... पटवार हल्का [illegible]...... पर श्री ...बाबूलाल...... ~~नायब तहसीलदार~~ / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/~~उपखण्ड~~ अधिकारी, नावलगढ़...... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-14/2014... के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक/रीडर/2021/719 दिनांक 24/9/2021... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
	उम्मेदसिंह	S/o जगदीशसिंह	56	राजपूत	प्रतिवादी
	मैनासिंह उर्फ महेन्द्रसिंह		36	राजपूत	प्रतिवादी
	विरेन्द्रसिंह	S/o [illegible]	63	राजपूत	वादी
	जयपाल सिंह	S/o [illegible]	32	राजपूत	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :- मौके का नजरी नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: Self Attested

मैनसिंह

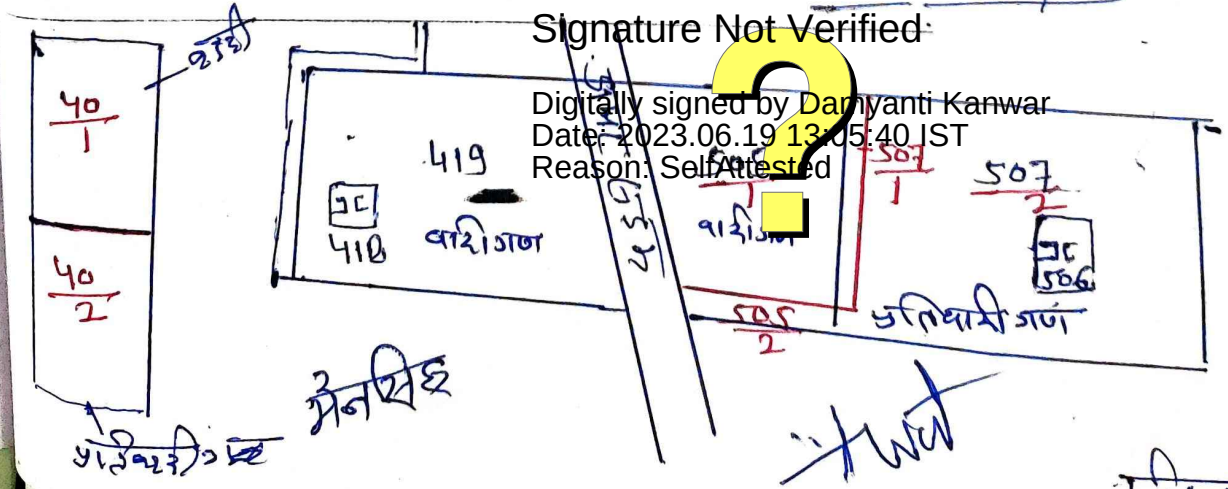

निरन्तर

ग्राम - सांसड़
तह - नवलगढ़
जिला - झुंझुनू
नकल नक्शा ट्रेसलिपि
सन् - 1968-70

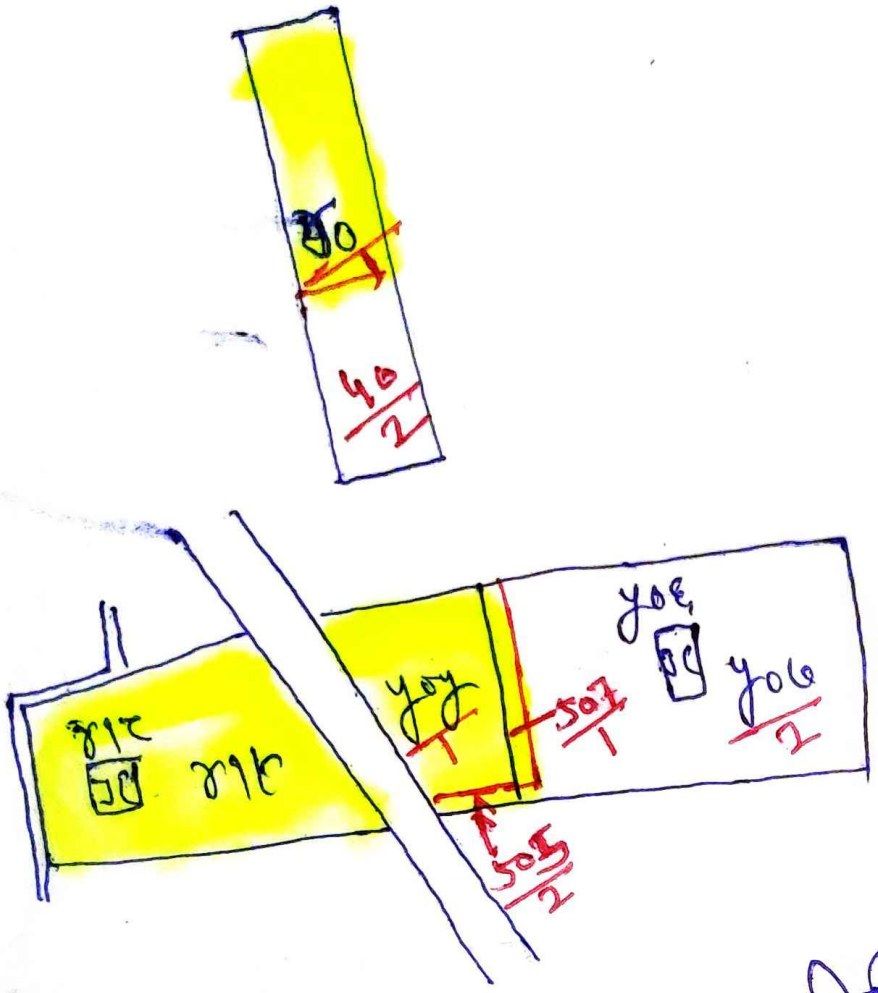

निःशुल्क राजकार्य हेतु जारी की गई।

पटवारी
30/09/2021
प०ह० सांसड़

| → प्रार्थीगण का हिस्सा

□ - प्रतिवादी गणों का हिस्सा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

पृ० 128

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये।

क्र.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० अरविन्द सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत स्था० देह [illegible]	40/1	0.3000	बा०I	
		418	0.0400	बा०I	
		419	0.7400	बा०I	
		505	0.4000	बा०I	
		507मी	0.0100	बा०I	
		5	1.4900	बा०I	
2	जीतू सिंह, उम्मेद सिंह, मोहन सिंह, सोहनसिंह पिता जगदीश सिंह हि० 20/63 धर्मेन्द्र सिंह, चैन सिंह, महेन्द्र सिंह पिता शंकर सिंह मंजू कंवर पुत्री शंकर सिंह हिस्सा 5/63 ओमकंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह, जयराज सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, सुनीता कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह हिस्सा 5/63, धीरज कंवर, माया कंवर पुत्रिया जगदीश सिंह हिस्सा 1/63 नरपतसिंह सुरेन्द्र सिंह, प्रेम कंवर ~~पिता पुत्रिया~~ बदनकंवर ~~पिता~~ नाथूसिंह भंवर कंवर हिस्सा 1/26 जाति राजपूत स्था० देह [illegible]	40/2	0.3000	बा०I	
		505/2	0.0200	बा०I	
		506	0.0600	बा०I	
		507/2	1.1400	बा०I	
		4	1.5200	बा०I	

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारों और मौतबिरान को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़ सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये:-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/प्रतिवादी
1.	मैंनसिंह/धर्मेन्द्र महेन्द्र सिंह	[illegible]	[illegible]	[signature]	वादी/प्रतिवादी
2	विरेन्द्र सिंह	स्व० अरविन्द सिंह	राजपूत	[signature]	वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:40 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
	उम्मेदसिंह S/o	जगदीशसिंह	56	राजपूत	प्रतिवादी
	जयपालसिंह पुत्र	राजेन्द्रसिंह	32	राजपूत	प्रतिवादी

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
	श्रीराम सिंह S/o	ओंकार सिंह	42	राजपूत	9928568788
	मोतीसिंह S/o	राजेन्द्रसिंह	36	राजपूत	8209628577
	स्वरूपसिंह S/o	किशोरसिंह		राजपूत	9829614600

श्रीराम सिंह

मोतीसिंह

स्वरूप

जिलाधिकारी/न्यायालय सहायक कलक्टर के द्वारा प्रकरण 38/... दिनांक 28.7.201.. को स्थगन आदेश जारी है। आदेश प्रति संलग्न है।

इस प्रकार आज दिनांक 30.09.21 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:06:40 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
पटवारी

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
30/9/2021

हस्ताक्षर
ना. तह.

हस्ताक्षर
तहसीलदार
तहसीलदार
तहसील ...गढ़